उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 –407 / 2017

बचन प्रधान.....वादी।

बनाम्

चन्द्रदीप प्रधान वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

08.12.2025

वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 08.12.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं0 01 भगवान प्रधान की मृत्यु दिनांक 07.10.2025 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं0 01 भगवान प्रधान का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान अमित प्रधान, सुगन्धी देवी, प्रिती देवी, गायत्री देवी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। अनुरोध करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति अंकित किया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अन्दर है जिसपर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन पर अनापति अंकित किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 08.12.2025 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 धारा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा मृत वादी सं0 01 भगवान प्रधान का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान अमित प्रधान, सुगन्धी देवी, प्रिती देवी, गायत्री देवी का नाम मृत वादी सं0 01 के नाम के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–04.02.2026 वास्ते साक्ष्य हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)